प्रेषक

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 01 दिसम्बर, 2020**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-001-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय की योजनान्तर्गत हर्बल गार्डेन कार्यक्रम हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-59/बजट/2020-21, दिनांक 13.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष-2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-001-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय योजनान्तर्गत हर्बल गार्डेन कार्यक्रम हेतु 27-सब्सिडी मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 9.34 लाख के सापेक्ष 25 प्रतिशत की धनराशि रु0-2.33लाख (रु0 दो लाख तैतीस हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं0-10 (धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक	कोड सं0/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय	27-सब्सिडी	9.34	2.33
योग-			2.33

(रूपये-दो लाख तैतीस हजार मात्र)

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020 /बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020- 231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इकसा व्यावर्तन किया जायेगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति न किये जाने एवं आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

(4) धनराशि आहरण कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों एवं परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप योजना में दिये गये दिशा निर्देशों/गाइड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) वित्त नियन्त्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(10) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(11) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियन्त्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(12) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तरीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(13) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक "2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन एवं प्रशासन-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय की योजनान्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मद के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-यू0ओ0-ई-1-952/दस-2020, दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-56/2020-1754(1)/58-2020-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
7- संबंधित जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in